न्यायालय सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी, औसियां

पीठासीन अधिकारी – श्री राजीव शर्मा, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– /2022/365

प्रार्थीगण :–

1 रूपाराम पुत्र श्री विशनाराम
2 मोहनराम पुत्र श्री विशनाराम
जाति मेगवाल निवासी पाबूनगर तहसील ओसियां जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1 नरसिंगाराम पुत्र श्री बागाराम
2 सुखराम पुत्र श्री बाबुलाल
3 झुमरलाल पुत्र श्री बाबुलाल
जाति गुरूडा निवासी पाबूनगर तहसील ओसियां जिला जोधपुर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>निर्णयः–</u> दिनांकः– 12/4/23

तहसील ओसियां के ग्राम पाबूनगर की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 204 रकबा 02.8571 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है। चालू जमाबन्दी की नकल साथ में पेश है तथा नजरी नक्शा साथ में पेश है जो प्रार्थना पत्र का भाग व अंग समझा जावे। उपरोक्त वर्णित खसरा की भूमि में आने–जाने हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 203, रकबा 4.3463 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 203/2, रकबा 00.8094 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 202 रकबा 01.6187 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण के नाम की खातेदारी की व कब्जा काश्त सुदा है जिसमें से एक कदीमी रास्ता चलता है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए से बी व बी से सी, सी से डी कदीमी रास्ता दर्शाया हुआ है।

Scanned with OKEN Scanner

जिसे प्रार्थना पत्र का भाग व अंग सुमार समझा जावे। उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि में आने-जाने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि में से कदीमी रास्ता चलता है जिसे नजरी नक्शे में मार्क ए से बी व बी से सी, सी से डी दर्शाया गया है। उक्त ए से बी व बी से सी, सी से डी रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की भूमि में आने-जाने के लिए दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर सकते है तथा आपसी सहमति से रास्ता तय नहीं हो रहा है प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतु लघुत्तम व निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 203, 203/2, 202 की भूमि के कणे पर जो स्थित है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा किन्तु उक्त रास्ते का मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं हुआ इसलिए न्यायालय हाजा में उक्त रास्ता तय करने एवं राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहे हैं। प्रार्थी को अप्रार्थीगण की भूमि के अन्दर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शे में वर्णित मार्क ए से बी व बी से सी, सी से डी के मध्य दो गट्ठा चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की भूमि तक तय किया जाकर राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण विधि अनुसार एवं डी. एल. सी. की दर के अनुसार रास्ते की भूमि का प्रतिकर न्यायालय हाला द्वारा अवधारित करने पर अदा करने के लिए तैयार है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में आने जाने के लिए दो गट्ठा चौड़े रास्ते की आवश्यकता है जिससे प्रार्थीगण आसानी से आ जा सके एवं आवागमन में कोई असुविधा नहीं हो। प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। एवं नजरी नक्शे में दर्शाया गया रास्ता मार्क ए से बी व बी से सी, सी से डी जो नजरी नक्शा में दर्शाया गया है वह सबसे लघुत्तम एवं निकटतम रास्ता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि न्यायहित में उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि में प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 203, 203/2, 202 में से नजरी नक्शे में दर्शाए गये लाल रंग से मार्क ए से बी व बी से सी, सी से डी तक दो गट्ठा चौड़ा रास्ता मंजूर किया जाकर राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1,3 की अधिवक्ता ने जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यावाही अमल में लाई गई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1,3 की ओर

से सहमति एवं राजीनामा अनुसार रास्ते हेतु नजरिया नक्शा पेश किया गया। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1,3 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1,3 की ओर से सहमति एवं राजीनामा से प्रस्तुत नजरिया नक्शा अनुसार रास्ता दर्ज करने हेतु सहमति जाहिर की है। उक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय निम्न निष्कर्षो पर पहुंचा।

<u>रास्ते की आवश्यकता:–</u>

भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट एवं राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी को कृषि कार्य हेतु खसरा नंबर 204 में आवागमन करना होता है। अतः नियमित रूप से आवागमन हेतु बेरोकटोक चलने वाले रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है।

<u>वैकल्पिक रास्ते का अभाव:–</u>

पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में किसी वैकल्पिक रास्ते का उल्लेख नहीं है।

<u>निकटतम/सुगमतम रास्ता:–</u>

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1,3 के अधिवक्ता द्वारा सहमति एवं राजीनामा से प्रस्तुत नजरिया नक्शा अनुसार रास्ता दर्ज करने हेतु सहमति जाहिर की है।अतः सहमति से प्रस्तुत नजरिये नक्शे अनुसार रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश:–</u>

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1,3 के अधिवक्ता द्वारा सहमति एवं राजीनामा से प्रस्तुत नजरिया नक्शा में दर्शाये गए बिन्दू ए.बी.सी के अनुसार ग्रम पाबुनगर के खसरा नम्बर 202,203, में 4.6 मीटर चौडा रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार तिंवरी को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण से नियमानुसार डी.एल.सी. का दो गुणा राशि की गणना कर अप्रार्थीगण को भुगतान करवाया जाकर उपरोक्त वर्णित रास्ते को राजस्व रेकर्ड

व लटठा ट्रेश में अमल दरामद किया जाए। संबंधित तहसीलदार को तहरीर जारी हो

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

राजीव शर्मा
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आदेश आज दिनांक 12/4/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

राजीव शर्मा
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with OKEN Scanner